

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/112/2025

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/184

प्रवेश तिथि
20.03.2025

निर्णय दिनांक
18.07.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. गिराज सिंह पुत्र श्री फकीरा सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम कीटोडा तहसील व जिला अलवर।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14
(4) भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक
02—अप्रार्थी अनुपस्थित।

—वकील प्रार्थी



तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम कीटोडा तहसील व जिला अलवर की साबिक आराजी खसरा नं० 377/421 रकबा 02 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 208 रकबा 0.03 है0 भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि गिराज सिंह पुत्र श्री फकीरा सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम कीटोडा तहसील व जिला अलवर के नाम से आराजी खसरा नम्बर साबिक 377/421 रकबा 02 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम कीटोडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आवंटित होकर जमाबन्दी सम्वत 2069-2074 के खाता संख्या नया 25 पुराना 41 में उनकी गैर खातेदारी में दर्ज है। जिस आराजी के हाल आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.03 हैक्टेयर है।

ग्राम कीटोडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की 377/421 रकबा 02 बिस्वा कृषि अप्रार्थी को आवंटित हुई थी। जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069-2074 के खाता संख्या नया 25 पुराना 41 में अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है। ग्राम कीटोडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की 377/421 रकबा 02 बिस्वा के मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051-2070 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 208 रकबा 0.03 हैक्टेयर कायम हुए है।

आवंटी द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में सम्पूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। मौके पर उपरोक्त आवंटनशुदा आराजी पर आवंटनी का कब्जा नहीं है एवं आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है।

अतः प्रार्थना पत्र माननीय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को आवंटित की गई उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर साबिक 377/421 रकबा 02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 208 रकबा 0.03 हैक्टेयर वाकै ग्राम कीटोडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की बाबत आवंटनी के नाम जारी आवंटन आदेश को निरस्त किया जाकर भू राजस्व कम किए जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

आ :रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का खुदनपुरी दिनांक 21.10.2024 उक्त विवादित आवंटित हाल आराजी खसरा नंबर 208 रकबा 0.03 है0 किस्म बारानी-1 आवंटी गिराज सिंह पुत्र श्री फकीरा सिंह जाति सिक्ख सा0 देह गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जॉच रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का खुदनपुरी अप्रार्थी/आवंटी गिराज सिंह पुत्र श्री फकीरा सिंह जाति सिक्ख द्वारा मौके पर आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया गया है तथा मौके पर रास्ते एवं प्लॉट बने हुए है। आवंटित भूमि पर संवत 2080 की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटित हाल आराजी खसरा नंबर 208 रकबा 0.03 है0 किस्म बारानी-1 भूमि को अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से आदिनांक तक कृषि हेतु उपयोग में नहीं लिया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में सम्पूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। मौके पर उपरोक्त आवंटनशुदा आराजी पर आवंटी का कब्जा नहीं रहा है एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भूआवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भूआवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थी गिराज सिंह पुत्र श्री फकीरा सिंह जाति सिक्ख सा0 कीटोडा को आवंटित की गई उक्त आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 208 रकबा 0.03 है0 किस्म बारानी-1 भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)